न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

इजलास अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक
दावा संख्याः– 62/2018
निर्णय दिनांकः– 22/12/25

1. बद्री पुत्र माधो जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
2. भगवान पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
3. लाडा पुत्री मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
4. शारदा पुत्री मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)

–वादीगण

उनवान

1. शंकर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
2. रामकिशन पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
3. रामराय पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
4. प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा, निवाई जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 एवं धारा 151 सीपीसी धारा 114 सीपीसी
(दावा बाबत उद्घोषणा, खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

उपस्थितः–1. श्री रमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री नरेन्द्र कुमार जाट, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

निर्णय

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः– प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 47 एवं धारा 151 सीपीसी धारा 114 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण अपने वाद को राजीनामे के माध्यम से खारिज करवाने हेतु उपस्थित हुए थे जिसमे पक्षकारों के आर्डरशीट एवं राजीनामे के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये थे और तत्समय वाद खारीज करने के बजाय डिकी कर दिया गया। पूर्व में वादीगण सं0 2 ता 4 द्वारा वादपत्र खारीज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो अस्थायी निषधाज्ञा प्रार्थना पत्र में शामिल कर दिया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी प्रार्थना पत्र मय स्टाम्फ पेश किया जिसमे जिसके नाम जमीन है उसी की रहेगी स्टाम्प में अंकित कर रखा है किन्तु वाद खारिज करने के बजाय डिकी कर दिया जो पुनर्विलोकन कर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 47 एवं धारा 151 सीपीसी धारा 114 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण को मान्य न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर दिनांक 22.12.2021 को प्रकरण का निस्तारण किया गया था जिसको प्रार्थी ने स्वीकार किया है। उक्त प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से एवं दफा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही होने से उक्त पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने

Scanned with OKEN Scanner

योग्य है। उनवानी प्रकरण को दिनांक 28.4.2021 को राज्य सरकार की ओर से जारी अभियान प्रशासन गांव के संग 2021 में वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी राजी खुशी से एवं स्वेच्छा से कैम्प में उपस्थिति होकर वाद–पत्र के उभयपक्षकारों ने आर्डर शीट एवं राजनामें पर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर प्रपत्र पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किये थे। उसी आधार पर न्यायालय ने दावा डिकी किया। न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की। न्यायालय के आदेश की प्रार्थी ने आदिनांक तक किसी भी न्यायालय में कोई अपील नही की है। प्रार्थना पत्र डिफेक्टिव तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जिसका इस वादपत्र से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र आदेश 47 एवं धारा 151 सीपीसी धारा 114 सीपीसी पर बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सूनी गई। पत्रावली एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ संलग्न साक्ष्य, शपथ पत्र–राजीनामा एवं लिखित बहस पर मनन किया। राजीनामा एवं आदेशिका/आर्डरशीट पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर है। राजीनामा लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर वादी का वाद डिकी किया गया था। अतः प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से एवं दफा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही होने से उक्त पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 47 एवं धारा 151 सीपीसी धारा 114 सीपीसी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिता कुमारी खटीक)
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner